"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-3/2013/34-2/1464.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान) के घटक सूचना, शिक्षा एवं संचार का परिणात्मक प्रबंधन के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय ग्रामीण शालाओं में पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय/नवोन्मेषी प्रयास करने के उद्देश्य से उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त शासकीय ग्रामीण शालाओं को "मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार" से सम्मानित करने हेतु नियम सृजित करता है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार बनाये जाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम**— इस नियम का नाम "मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार है" यह पुरस्कार राज्य में आच्छादित प्रत्येक विकासखंड से 01 शाला (जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला सम्मिलित हैं) को पेयजल एवं स्वच्छता के समस्त आयामों की दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर प्रदान किया जावेगा.

2. **प्रभावशीलता**— ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे. ये नियम सन् 2017 तक प्रारम्भिक चरण में तय किये जाते हैं. राज्य शासन इसे आवश्यकतानुसार बढ़ा सकेगा.

3. **परिभाषा**— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

   अ- "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय कंडिका 06 के तहत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

   ब- निर्मल शाला से तात्पर्य ऐसी शाला जो कंडिका 05 के तहत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती हो.

4. **सम्मान का स्वरूप**— सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत राज्य की ग्रामीण शालाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण शालाओं में स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय/नवोन्मेषी प्रयास को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रोत्साहित किए गए शालाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार से क्षेत्र की अन्य शालाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से उल्लेखनीय प्राप्त ग्रामीण शलाओं को मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार के तहत निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर पुरस्कार की राशि, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जावेगा. साथ ही ऐसी शालाओं के प्रधान पाठक/प्राचार्य नोडल सेनिटेशन टीचर (केवल एक) जिसने शाला को निर्मल शाला (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में) बनाने हेतु उल्लेखनीय प्रयास किये हो, को निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा.

5. **पुरस्कार के नियम एवं मापदण्ड**—प्रतिवर्ष राज्य के ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक विकासखंड से 01 शासकीय शाला को "मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार" प्रदान किया जायेगा जो निम्न मापदण्डों को पूरा करती हो—

1. शाला में बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय एवं मुत्रालय की सुविधा छात्र-छात्राओं के अनुपात में हो एवं उसका समुचित उपयोग बच्चों द्वारा किया जाता हो. (भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के मापदंड अनुसार)

2. शाला शौचालय में हाथ धुलाई यूनिट निर्मित हो एवं उसका समुचित उपयोग बच्चों द्वारा किया जाता हो.

3. माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक के बालिका शौचालय में सेनेटरी पेड के उचित निपटान की व्यवस्था हो.

4. शाला में पीने का गुणवत्तापूर्ण (Pure & Wholesome) पानी व शौचालय, किचन में उचित स्थान पर निरंतर व पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो साथ ही पर्याप्त स्वच्छता बरती जाती हो.

5. मध्यान्ह भोजन के पूर्व अनिवार्यत: साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था हो एवं बच्चों द्वारा व्यवहारिक रूप से नियमित साबुन से हाथ धोये जाते हों.

6. शाला के सभी बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता परिलक्षित हो.

7. शाला में कूड़े-करकट एवं अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन हो.

8. शाला स्वच्छता क्लब सक्रिय हो एवं स्वच्छता गतिविधियों के संचालन के साथ ही विद्यार्थियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच भी करते हों.

9. शाला प्रांगण में पर्याप्त स्वच्छता हो.

10. शाला में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा एक अनिवार्य कालखण्ड के रूप में प्रतिदिन/साप्ताहिक प्रदान की जाती हो अर्थात् प्रत्येक बच्चे को स्वच्छता के बारे में पर्याप्त जानकारी हो.

11. शाला स्वच्छता व व्यक्तिगत स्वच्छता के अनुश्रवण/मॉनिटरिंग हेतु स्वच्छता बोर्ड इत्यादि बनाया गया हो एवं शाला स्वच्छता क्लब के द्वारा नियमित भरा जाता हो.

12. शाला में कार्यरत् शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मियों में भी व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन परिलक्षित हो.

इसके अतिरिक्त शाला स्वच्छता के स्थायीत्व बनाये रखने हेतु नवोन्मेषी प्रयास एवं शाला में बच्चों में स्वच्छता के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु कोई गतिविधि/खेल इत्यादि तैयार करने पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी.

पुरस्कार— निर्मल शाला घोषित होने पर संबंधित शाला को "निर्मल शाला" का प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्तानुसार पुरस्कार राशि रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) प्रदान की जावेगी. इसके साथ ही संबंधित शाला के प्रधान पाठक/प्राचार्य/शिक्षक (केवल एक) जिसने उस शाला को निर्मल शाला बनाने में उल्लेखनीय प्रयास किया हो, को उनके व्यक्तिगत योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा. पुरस्कार राशि का उपयोग स्वच्छता के स्थायीत्व बनाये रखने व स्वच्छता सुविधाओं के उन्नयन हेतु किया जावेगा. स्वच्छता व पेयजल के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु पुरस्कार राशि का उपयोग नहीं किया जायेगा.

आवेदन प्रक्रिया— ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किये जा सकेंगे. आवेदनों को संबंधित शाला के प्रधान पाठक/प्राचार्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से खण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (आदिवासी कल्याण विभाग) को प्रस्तुत किये जायेंगे. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (आदिवासी कल्याण विभाग) प्रकरणों का परीक्षण करके अपनी अनुशंसा एवं टीप सहित कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.वि. सह सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करेंगे. जिला जल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष आवेदनों को विचारार्थ रखने की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग की होगी जो समिति के पद में सदस्य सचिव होते हैं.

सत्यापन एवं निरीक्षण—समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा एवं उनकी जवाबदेही में प्राप्त होने पर निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा सत्यापन दल का गठन कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा. सत्यापन दल सामान्यत: 05 सदस्यो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की समन्वय में गठित होगा, जिसमें :—

1. माननीय विधायक (प्रतिनिधि मान्य नहीं होगा).
2. उपाध्यक्ष जिला पंचायत जो कि शिक्षा स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है.
3. सभापति, स्थायी समिति (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित) जिला पंचायत.
4. जिला शिक्षा अधिकारी.
5. सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

सत्यापन दल को प्रस्तावित समस्त शालाओं का निरीक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कम से कम 15 दिवस पूर्व सूचना अनिवार्य है. सत्यापन दल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति की अनिवार्यता होगी. सत्यापन दल प्रस्तावित शालाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति करेंगे.

6. **निर्णायक मंडल का गठन**— सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर गठित जिला जल एवं स्वच्छता समिति ही निर्णायक मंडल (जूरी) होगा. निर्णायक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन जिला पंचायत की सामान्य सभा से प्राप्त करना आवश्यक होगा.

7. **निर्णायक मण्डल की शक्तियां**—
   1. निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन जिला पंचायत की सामान्य सभा के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगा.
   2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.
   3. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के सम्मान के लिए ग्रामीण शालाओं का चयन होगा.
   4. चयन वर्ष 2017 तक के लिए प्रस्तावित है, राज्य शासन इसे आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकता है.

8. **आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया**— पुरस्कार के लिए उपयुक्त ग्रामीण शालाओं के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी—
   1. प्रविष्टि शाला के प्रधान पाठक/प्रधान अध्यापक/प्राचार्य के द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (आदिवासी विकासखंड) के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग) की अनुशंसा के पश्चात् कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सह सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जायेगी.
   2. प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप में अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए. (देखे आवेदन प्रारूप)
   3. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अतिरिक्त कोई और शर्ते लागू नहीं होगी.
   4. एक बार चयन हो जाने के उपरांत पुरस्कृत शाला दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगा.
   5. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारियों के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

6. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन को किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा.

7. निम्नलिखित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवाई जायेगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा—
   (1) शाला का नाम, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड सहित
   (2) प्रस्तावक-शिक्षक/प्रधान पाठक/प्रधान अध्यापक/प्राचार्य का नाम
   (3) "सम्मान" विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
   (4) पूर्व में प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
   (5) प्रमाण पत्र/टिप्पणियां/आलेख
   (6) सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

9. **चयन का मानदण्ड एवं समय-सारणी**— सम्मान के लिए निर्मल शाला के क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक के निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे—

1. सम्मान के लिए निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा ऐसे शिक्षक का चयन किया जावेगा जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट सेवा की हो. प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित कार्यों एवं प्रमाणों का आधार माना जावेगा.

2. ग्रामीण शालाओं से सभी आवेदन प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक प्राप्त किये जायेंगे.

3. ग्रामीण शालाओं से प्राप्त आवेदनों की छटनी का कार्य एवं सत्यापन दल को सौंपने का कार्य एवं सदस्यों को सूचना 30 सितम्बर तक जारी की जायेगी.

4. सत्यापन दल 31 अक्टूबर तक अपना प्रतिवेदन निर्णायक मंडल को सौंपेंगे.

5. निर्णायक मंडल 30 नवम्बर तक जिला पंचायत की सामान्य सभा से विचार प्राप्त करेंगे.

6. 30 दिसम्बर तक कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा चयनित शालाओं की सूची पर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन का अनुमोदन प्राप्त करेंगे.

7. 15 जनवरी तक माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदित सूची को सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध करायेंगे.

8. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

9. सम्मान शाला पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर दिया जायेगा. अत: इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के द्वारा निजी स्तर पर दिये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

10. शाला पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए, जो कि शाला की वस्तुस्थिति/फोटो ग्राफ्स/प्रमाण पत्रों एवं प्रतिवेदन से होगा.

11. जहां कहीं आवश्यक हो निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा समिति गठित की जाकर आवेदकों के कार्यों के प्रभावों का निरीक्षण एवं सत्यापन कराया जायेगा एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्णायक मंडल (जूरी) निर्णय लेगा.

10. **सम्मान की घोषणा**— निर्णायक मंडल (जिला जल एवं स्वच्छता समिति) द्वारा कराये गये मूल्यांकन/आंकलन के आधार पर विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट पाई गई शाला को मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार प्रदान किये जाने की अनुशंसा जिला जल एवं स्वच्छता समिति करेगी. मुख्यमंत्री निर्मल शाला की औपचारिक घोषणा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा जिला स्तर से गणतंत्र दिवस को की जावेगी. साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में ही संबंधित शाला एवं शिक्षक को पुरस्कृत भी किया जावेगा.

11. **अलंकरण समारोह**— निर्मल शाला की पुरस्कार राशि, प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्रों का वितरण जिले स्तर पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी या उनके किसी कारणवश उपस्थित न होने की दशा में कलेक्टर के करकमलों द्वारा पुरस्कृत शाला को प्रदान की जावेगी. जिसे पुरस्कृत शाला के प्रधान अध्यापक/प्रधान पाठक/प्राचार्य ग्रहण करेंगे. व्यक्तिगत योगदान देने वाले शिक्षक/प्रधान पाठक/प्राचार्य को उनके व्यक्तिगत योगदान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा. सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए चयनित शाला के प्रतिनिधि एवं व्यक्तिगत योगदान देने वाले शिक्षक को विशेष रूप से आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत अधिकारी/कर्मचारी अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी को शासन के नियमानुसार समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

12. **व्यय की संपूर्ति**— सम्मान एवं अलंकरण समारोह में होने वाले व्यय की संपूर्ति तथा पुरस्कार की राशि की संपूर्ति छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन योजना "मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार" में भारित की जावेगी. पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने हेतु पुरस्कृत शाला से संबंधित शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा व्यय व अन्य व्यय की संपूर्ति जिला स्तर पर टी.एस.सी. के तहत उपलब्ध आई.ई.सी. मद में भारित किया जावेगा.

13. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन**— राज्य शासन के नोडल विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को समान नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में वष्ठित होंगे.

14. **अन्य दायित्वों का निर्वहन**—प्राप्त प्रविष्टियां एवं चयन का रिकार्ड जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा रखा जावेगा. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संचालक छ.ग. राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन, संचालक सीसीडीयू समस्त कार्यक्रमों की सतत् मानिटरिंग करेंगे तथा किसी भी प्रकार के व्यवधान की स्थिति में राज्य जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य व्यवस्था संपादित करेंगे. राज्य स्तर में "मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार" प्राप्त समस्त शालाओं की जानकारी सहित का एक सचित्र स्मारिका प्रकाशित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. पी. किण्डो, विशेष सचिव.

आवेदन प्रारूप

(मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार-स्वच्छ शाला हेतु)

निर्मल शाला हेतु प्राचार्य/प्रधान पाठक/प्रधान अध्यापक द्वारा भरा जाने वाला आवेदन

1. शाला का प्रकार-प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शाला
2. शाला ग्राम का नाम— ....
3. ग्राम पंचायत का नाम — ....
4. पटवारी हल्का नं. — ....
5. संकुल का नाम — .... विकासखण्ड ....
6. शाला में दर्ज बच्चों की संख्या— ....
7. आवेदन प्रधान पाठक/अध्यापक/प्राचार्य का नाम— ....
8. पत्राचार का पता— ....
9. क्या शाला में बालक-बालिका हेतु पृथक-पृथक शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा छात्र-छात्राओं के अनुपात में है एवं उसका समुचित उपयोग बच्चों द्वारा किया जाता है ....
10. क्या शाला शौचालय में हाथ धुलाई यूनिट निर्मित है एवं उसका समुचित उपयोग बच्चों द्वारा किया जाता है ? ....
11. क्या माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक के बालिका शौचालय में सेनेटरी पेड के उचित निपटान की व्यवस्था व उसका उपयोग है ? ....
12. क्या शाला में गुणवत्तापूर्ण पीने के पानी, शौचालय व किचन में पर्याप्त व निरंतर पानी की उचित व्यवस्था है एवं पर्याप्त स्वच्छता बरती जाती है ? ....
13. क्या मध्यान्ह भोजन के पूर्व अनिवार्यतः साबुन के हाथ धुलाई की व्यवस्था है एवं बच्चों द्वारा व्यवहारिक रूप से नियमित साबुन के हाथ धोये जाते हैं ? ....
14. क्या शाला में कूड़े करकट एवं अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन है ? ....
15. क्या शाला स्वच्छता क्लब सक्रिय है एवं उनके द्वारा स्वच्छता गतिविधियां व व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच गतिविधि संपादित की जाती है ? ....
16. शाला स्वच्छता क्लब के नायक का नाम ....
17. क्या शाला प्रांगण में पर्याप्त स्वच्छता है ....
18. क्या शाला में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा एक अनिवार्य कालखण्ड के रूप में प्रतिदिन/साप्ताहिक प्रदान की जाती है अर्थात् प्रत्येक बच्चे को स्वच्छता के बारे मे पर्याप्त जानकारी है ? ....

19. शाला स्वच्छता एवं विद्यार्थियों के व्यक्तिगत स्वच्छता के अनुश्रवण हेतु स्वच्छता बोर्ड इत्यादि बनाया जाता है एवं नियमित भरा जाता है ....

20. शाला स्वच्छता के स्थायीत्व बनाये रखने हेतु नवोन्मेषी प्रयास— ....
....

21. क्या शाला में बच्चों में स्वच्छता के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु कोई गतिविधि/खेल इत्यादि तैयार किया गया है ....
....

22. क्या शालाओं के सभी शिक्षक/शिक्षिकायें एवं अन्य कर्मी व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक है ....
....

23. शाला शिक्षक/कर्मचारी/जनप्रतिनिधि का नाम जिसने शाला स्वच्छता की गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया— ....
....

व्यक्तिगत रूप से निम्न में किस प्रकार योगदान दिया (संक्षिप्त ब्यौरा)

जनभागीदारी को बढ़ावा देने हेतु ....

सामाजिक चेतना हेतु ....

अच्छा वातावरण निर्माण हेतु ....

अभिनव पहल ....

अन्य जानकारी ....

24. गतिविधि से संबंधित प्रमाण पत्र/साक्ष्य— ....

25. पूर्व में प्राप्त पुरस्कार (यदि कोई हो)— ....

26. फोटोग्राफ्स— ....

27. अन्य— ....

28. **घोषणा—**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन में प्रस्तुत जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सही है. किसी भी प्रकार की मिथ्या जानकारी देने पर मेरा आवेदन स्वत: निरस्त माना जाय एवं मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे. मैं अपनी शाला के लिए "निर्मल शाला पुरस्कार" प्रदान किये जाने का निवेदन करता हूं/करती हूं. मैं वचन देता हूं/देती हूं कि पुरस्कार की राशि उपयोग शाला में स्वच्छता/पेयजल का स्थायित्व/उन्नयन हेतु ही व्यय किया जायेगा.

सहमति— आवेदक—

सरपंच, ग्राम पंचायत
पूरा नाम पद मुहर दिनांक सहित हस्ताक्षर,

प्रधान पाठक/प्रधान अध्यापक/प्राचार्य
पूरा नाम पद मुहर दिनांक सहित हस्ताक्षर,

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का अभिमत—

....
....
....

हस्ताक्षर एवं दिनांक
कार्यालय मुहर सहित

निर्णायक मण्डल का अभिमत—

....
....
....

नोट :— जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास) अपने अधीनस्थ शालाओं में से अधिकतम 05 आवेदन प्रति विकासखंड गुणानुसार चयन करके सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत करेंगे.

* केवल आदिवासी विकासखंड हेतु.

निर्मल शाला मूल्यांकन प्रपत्र

(निर्णायक मंडल द्वारा गठित सत्यापन दल द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र)

निर्मल शाला पुरस्कार वर्ष 20..........

1. शाला का प्रकार— प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शाला
2. शाला एवं ग्राम का नाम— ....
3. ग्राम पंचायत का नाम — ....
4. पटवारी हल्का नं. — ....
5. संकुल का नाम— .... विकासखण्ड ....
6. शाला में दर्ज बच्चों की संख्या— ....

मूल्यांकन

क्र. (1)	मानदण्ड (2)	मूल्यांकन के अंक का निर्धारण (3)	कुल अंक (4)	प्राप्तांक (5)
01.	शौचालय सुविधा :—	**प्रत्येक हेतु 02 अंक** 1. शौचालय एवं मूत्रालय छात्रों के अनुपात में बने हैं 2. सभी छात्रों के द्वारा उपयोग किया जाता है. 3. शौचालय छात्र/छात्राओं के अनुकूल है. 4. फोर्स लिफ्ट पंप से शौचालय में रनिंग वाटर है. जिसमें टोटी बाहर लगा हो. 5. शौचालय एवं मूत्रालय साफ-सुथरा है.	10	
**	भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 में गैर आवासीय शालाओं में 40 छात्रों में एक डब्ल्यू. सी. व टेप नल तथा 25 छात्राओं में एक डब्ल्यू.सी. व टेप नल निर्धारित है. आवासीय शालाओं में 8 छात्रों में एक डब्ल्यू.सी. व टेप नल तथा 6 छात्राओं में एक डब्ल्यू.सी. व टेप नल इसी प्रकार 20 छात्रों में से एक तथा 25 छात्राओं में से एक मूत्रालय की अनिवार्यता है.			
02.	हाथ धुलाई की सुविधा	**प्रत्येक हेतु 01 अंक** 1. हाथ धुलाई की व्यवस्था है. 2. हाथ धुलाई हेतु वाश बेसिन या अन्य वैकल्पिक की व्यवस्था है. 3. वाश बेसिन में रनिंग वाटर फोर्स लिफ्ट पंप के माध्यम से उपलब्ध है. 4. हाथ धुलाई यूनिट साफ है. 5. हाथ धुलाई यूनिट में साबुन उपलब्ध है.	05	
03.	अपशिष्ट जल प्रबंधन	**प्रत्येक हेतु 02 अंक** 1. पेयजल स्रोत से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उचित निपटान है. 2. हाथ धुलाई यूनिट से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उचित निपटान है. 3. किचन से निकलने वाले अपशिष्ट जल का निपटान है. 4. शाला परिसर में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल का जमाव नहीं है.	08	
04.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1. कचरे को संयुक्त रूप बिना पृथक्करण किये सुरक्षित निपटान किया जाता है. **02 अंक** 2. कचरे का पृथक्करण करके सुरक्षित निपटान किया जाता है. **04 अंक** 3. कचरे का पृथक्करण करके सुरक्षित निपटान बच्चों की सक्रिय भूमिका से किया जाता है. **06 अंक** 4. कचरे का पृथक्करण करके सुरक्षित निपटान बच्चों की सक्रिय भूमिका से लिया जाता है तथा शाला में प्लास्टिक की पन्नी जैसे बिस्कुट, चाकलेट इत्यादि की पन्नी का उपयोग वर्जित है. **10 अंक**	10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
05.	सामान्य व पर्यावरणीय स्वच्छता	**प्रत्येक हेतु 01 अंक** 1. शाला परिसर व आसपास व्यापक साफ सफाई है. 2. शाला परिसर व आसपास में कहीं भी खुले में शौच व मूत्र नहीं है. 3. शाला परिसर में उद्यान/वाटिका है. 4. सब्जियों/फलदार पौधों का रोपण किया गया है. 5. ठोस अपशिष्ट से खाद निर्माण कर उद्यान/वाटिका में उपयोग किया जा रहा है. 6. वेस्ट वाटर (अपशिष्ट जल) का उपयोग उद्यान/वाटिका में सिंचाई हेतु किया जा रहा है. 7. स्वच्छता के तंत्र के प्रबंधन में बच्चों की सक्रिय भागीदारी है.	07	
06.	पेयजल स्वच्छता	**प्रत्येक हेतु 02 अंक** 1. सुरक्षित पेयजल स्रोत से पीने का पानी लिया जा सकता है. 2. पेयजल स्रोत के आसपास सफाई है. 3. पेयजल का संग्रहण ऊंचे स्थान पर ढककर रखा जाता है. 4. संग्राहक से पेयजल निकालने हेतु डंडीदार लोटे का उपयोग किया जाता है. 5. संग्रहण पात्र के पास व्यापक स्वच्छता बरती जा रही है.	10	
07.	सुविधाओं का संधारण	1. शाला की सफाई की जाती है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, कभी-कभी 01 अंक. 2. शाला शौचालय की सफाई की जाती है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, पाक्षिक/पखवाड़े 01 अंक. 3. शाला पेयजल स्रोत की सफाई की जाती है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, पाक्षिक/पखवाड़े 01 अंक. 4. शाला परिसर की सफाई की जाती है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, पाक्षिक/पखवाड़े 01 अंक. 5. शाला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाता है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, पाक्षिक/पखवाड़े 01 अंक.	15	
08.	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा	**प्रत्येक हेतु 02 अंक** **(निरीक्षण एवं किन्हीं 10 बच्चों के चर्चा करके)** 1. स्वच्छता संदेश/गीत/नारे प्रार्थना के समय उद्घोष किया जाता है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, पाक्षिक/पखवाड़े 01 अंक. 2. शाला स्वच्छता क्लब की बैठक आयोजित की जाती है, जिसका रिकार्ड रजिस्टर में रखा जाता है, साप्ताहिक 03 अंक, मासिक 02 अंक, द्वै-मासिक 01 अंक. 3. सभी बच्चों को हाथ धोने का सही तरीका पता है, 03 अंक 4. बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता जांच की जाती है, रोजाना 03 अंक, साप्ताहिक 02 अंक, पाक्षिक/पखवाड़े/मासिक 01 अंक. 5. स्वच्छता की सामान्य जानकारी बच्चों को है, 03 अंक	15	
09.	स्वच्छता क्लब की सक्रियता	**(क्लब के बच्चों से चर्चा करके)** 1. क्लब के सदस्यों को उनके दायित्व पता है. 03 अंक 2. क्लब के सदस्य को निम्न पता है— क. सुरक्षित पानी — 01 अंक ख. हाथ धोने का सहित तरीका — 02 अंक ग. शौचालय का महत्व व उपयोगिता — 20 अंक घ. स्वच्छता का महत्व व उपयोगिता — 02 अंक	10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	घरेलू स्वच्छता	**(बच्चों से चर्चा करके) कितने प्रतिशत बच्चों के घर शौचालय है—** 1. 25 प्रतिशत से कम — 01 अंक 2. 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम — 02 अंक 3. 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम —04 अंक 4. 75 प्रतिशत से अधिक किन्तु 90 प्रतिशत से कम — 60 अंक 5. सभी घरों में शौचालय — 10 अंक	10	
		कुल प्राप्तांक	**100**	

नोट :— सत्यापन दल का अभिमत या विशेष टीप—

....

....

सत्यापन दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, निरीक्षण तिथि सहित—

1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....

नोट :— 1. एक ही विकासखंड के शालाओं के समान अंक आने पर दूरस्थ अंचलों के शाला को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी.

2. मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार के मूल्यांकन में न्यूनतम 80 अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.